बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक– 01/विविध–08–27/2020, परि0 2216

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक–17/4/2020

विषय– COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों एवं मालवाहक वाहनों के परिचालन के संबंध में।

प्रसंग– इस कार्यालय का पत्रांक–2184, दिनांक–13.04.2020 एवं पत्रांक–2194, दिनांक–14.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में यात्री वाहनों के परिचालन के संबंध में प्रसंगाधीन विभागीय पत्रों द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किए गए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि दिनांक–03.05.2020 तक विस्तारित की गयी है। उक्त क्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–40-3/2020-DM-1(A), दिनांक–15.04.2020 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत किए गए हैं, जिसकी प्रतिलिपि आपको इस कार्यालय के पत्रांक–2201, दिनांक–15.04.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

गृह विभाग के वर्णित पत्र में उल्लिखित निदेश के आलोक में यात्री वाहनों के परिचालन संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश के कम में निम्नलिखित बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है :–

गृह विभाग के वर्णित पत्र की कंडिका–17(i) के अनुसार दिनांक–20.04.2020 के प्रभाव से निजी वाहनों के परिचालन के संबंध में निदेश इस प्रकार है –

''Movement of persons is allowed in the following cases- Private vehicles for emergency survices, including medical and veterinary care, and for procuring essential commodities. In such cases, one passenger besides the private vehicle driver can be permitted in the back seat, in case of four-wheelers, however, in case of two-wheelers, only the driver of the vehicle is to be permitted''.

अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक–2184, दिनांक–13.04.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन
17/4

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M

ज्ञापांक–01 / विविध–08–27 / 2020, परि0 2216 पटना, दिनांक– 17/4/2020

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 17/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01 / विविध–08–27 / 2020, परि0 2216 पटना, दिनांक– 17/4/2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 17/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01 / विविध–08–27 / 2020, परि0 2216 पटना, दिनांक– 17/4/2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 17/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।